

उपहार कर (Gift Tax)

उपहार-कर उस को कहते हैं जोकि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में दिये गये निर्धारित मूल्य से अधिक के उपहारों पर लगाया जाता है। इस कर का उद्देश्य अंशतः तो आय प्राप्त करना तथा अंशतः धन के वितरण में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करना है, किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य संपदा शुल्कों (Estate Duty) से वचन की प्रवृत्ति को रोकना ही है। ऐसे कर के बिना लोगों के लिए यह सम्भव हो जायेगा कि वे अपनी सम्पत्ति के अच्छे-खासे भाग को उपहारों के रूप में हस्तान्तरित कर दे ताकि शेष सम्पत्ति को उत्तराधिकार में दे सकें जिससे उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित सम्पत्ति पर कोई कर न देना पड़े। ऐसी प्रक्रिया राजकोष के लिये अहितकर होगी।

सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप से उपहार कर को वैसे ही न्यायोचित ठहराया जाता है जैसे कि संपदा शुल्कों को ठहराया जाता है। कराधान जाँच आयोग का यह मत नहीं था कि कितना उपहार कर लगाया जाए। अतः आयोग ने कहा था कि "सैद्धान्तिक दृष्टि से तो उपहार कर का प्रस्ताव बड़ा आकर्षक-सा लगता है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इसको लागू करने से पहले संपदा शुल्क के संचालन का यथेष्ट अनुभव प्राप्त कर लिया जाए। अतः वर्तमान स्थिति में हम उपहार कर लागू करने के पक्ष में नहीं हैं।"⁹ इस सम्बन्ध में प्रो० केलडोर ने एक बड़ा परिवर्तनवादी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसका मत था कि 10,000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर उपहार कर लगाया जाना चाहिए और यह कर उपहार-प्राप्तकर्ता के कुल वास्तविक धन के मूल्य के अनुसार आरोही दरों से लगाया जाना चाहिए। उसने यह सुझाव दिया कि वर्तमान संपदा शुल्क का स्थान, अन्ततोगत्वा (ultimately) एक सामान्य उपहार कर को दे दिया जाना चाहिए। यही नहीं, उसने यह भी कहा कि इस बात में कोई औचित्य नहीं दिखता कि व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में दिये गये उपहारों के साथ तथा उत्तरदान (legacy), वसीयतनाम (bequeaths) अथवा उत्तराधिकार (inheritances) के द्वारा प्राप्त धन के साथ भिन्न-भिन्न रूप में व्यवहार किया

9 "A gift tax is theoretically in attractive proposition but it requires considerable experience of the operation of estate duty before it can be introduced....we are, therefore, not in favour of introducing the gift tax at this stage."
—Report of the Taxation Enquiry Commission, Page 245.

जाए। अतः उसका विचार था कि संपदा शुल्क का स्थान उपहारों पर लगाये जाने वाले एक आरोही कर द्वारा ले लिया जाना चाहिए।

भारत में उपहार कर (Gift Tax in India)

भारत में उपहार कर सन् 1958 में लागू किया गया था। यह कर व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों के संघों द्वारा दिये गये उपहारों पर लगाया गया था। यह कर दानी (donor) पर लगता है, उपहार प्राप्तकर्ता पर नहीं। यह कर-दाता द्वारा पिछले कर निर्धारण वर्ष में दिये गये सभी उपहारों के मूल्य पर लगा था।

आजकल पति या पत्नी को दिये गये 50,000 रुपये तक के उपहारों को कर-मुक्त कर दिया जाता है, भले ही ये उपहार किसी एक वर्ष के समय में दिये गये हों अथवा अधिक समय में। उपहार कर में प्रदान की जाने वाली अन्य छूटें अथवा माफियाँ (exemptions), ये हैं—केन्द्र व राज्य सरकारों, स्थानीय सत्ताओं (local authorities), पुण्यार्थ तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दिये जाने वाले उपहार, विवाह के अवसर पर स्त्री-आश्रितों को दिये जाने वाले उपहार, किन्तु प्रत्येक स्थिति में 10,000 रु० तक।

उपहार करों की दरों में संशोधन

सन् 1985-87 के बजट प्रस्तावों में वित्त मन्त्री ने उपहार कर की दरों को संशोधित करते समय कहा कि यह संशोधन कर-वंचन (Evasion) को रोकने के लिए एवं कर के ढाँचे को सरल बनाने के लिए किये गये हैं। अतः कर-मुक्ति सीमा (Exemption Limit) को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक सभी उपहारों पर कर की दर 30% कर दी गई।

2. उपहार कर (Gift Tax) 30 प्रतिशत की दर से सभी उपहार देय राशि (Taxable gift) पर लगेगा।
इन दरों (Rates) में 1985-87 के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः यही दरें 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 में लागू रहेगी।

वर्ष **1994-95** के बजट प्रस्तावों में उन उपहारों पर, जो माता व पिता बच्चों को शादी के अवसर पर देंगे, कर की छूट की सीमा (Exemption limit) 30,000 रुपये से बढ़ाकर 100,000 रुपये कर दी गई। वर्ष 1995-96, 1996-97 1997-98, 1998-99 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष **1997-1998** में वित्त मन्त्री ने उपहार कर को समाप्त कर दिया।

लाभ—उपहार कर को लगाने का मुख्य उद्देश्य सुनियोजित ढंग से संपदा शुल्क (Estate Duty) से बचने की प्रवृत्ति को रोकना ही है। किन्तु इसके अतिरिक्त इस कर के अन्य भी कई लाभ हैं। यह स्वयं आयकर के प्रशासन में सुधार की दृष्टि से भी उपहार कर महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है क्योंकि यदि कोई धन आयकर से बचाया जाता है तो वह प्राप्त किये गये उपहारों के रूप में सामने आ जाता है। इस प्रकार उपहार कर संपदा शुल्क के वंचन को रोकता है तथा आयकर में न दिखाये जाने वाले धन के वंचन को भी रोकता है। इन लाभों के अतिरिक्त, उपहार कर आय तथा धन के वितरण में पाई जाने वाली असमानताओं को कम करता है तथा सरकार की आय में वृद्धि करता है।

आजकल उपहार कर दाता पर लगाया जाता है। परन्तु प्रो० केल्डोर ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान संपदा शुल्क के स्थान पर उपहार प्राप्तकर्ता पर आरोही दर से एक सामान्य उपहार कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मत था कि व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में दिये गये उपहारों (gifts) तथा रिक्त-पत्रों will (testamentary), वसीयतनामों will (written) व उत्तराधिकार की प्राप्तियों (receipts) के बीच कोई अन्तर नहीं है।

उपहार कर-परिहार को रोकने के उपाय (measures to Check Avoidance of Gift Tax)—इस सम्बन्ध में न्यायमूर्ति श्री के० एन० वाँचू ने निम्न सिफारिशों की हैं—

- (1) सन् 1958 के उपहार-कर अधिनियम (Gift Tax Act) में उपयुक्त सुधार करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे किसी व्यक्ति द्वारा केवल किताबी जमाखर्च के द्वारा दिये गये उपहार को वैध उपहार (valid gift) के रूप में उस समय तक मान्यता न दी जाए, जब तक कि उसका भौतिक रूप हस्तान्तरित न हो।
- (2) व्यक्ति द्वारा वर्ष के वर्ष दिये जाने वाले उपहारों को एक साथ जोड़ लिया जाना चाहिए।

(3) वर्ष में कुल 1,000 रु० तक के उपहारों को कर-मुक्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रति प्राप्तकर्ता (donee) 200 रु० तक के व्यक्तिगत उपहारों को भी छोड़ा जा सकता है।

(4) उपहारों को एक साथ जोड़ने के सिद्धान्त का और आगे भी विस्तार किया जाना चाहिए ताकि संपदा शुल्क के साथ उनका पूर्णरूप से एकीकरण हो जाए।

श्री एस० भूतलिंगम का भी यही मत था कि चूँकि उपहार स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की कर-देय क्षमता में वृद्धि करता है जो उसे प्राप्त करता है, अतः समता एवं न्याय की दृष्टि से यही अधिक तर्कसंगत व सुविधाजनक होगा कि उपहार कर की अदायगी का दायित्व उपहार देने वाले की बजाय उपहार लेने वाले पर डाला जाए। परन्तु उपहार प्राप्त करके व्यक्ति जो कमाता है उसे तो उसकी आय माना जाता है। यह तो बड़ी बेमेल बात हो जायेगी कि कराधान के लिए एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय मानी जाए। अतः वांछनीय यही है कि दिये गये उपहारों पर ही उपहार-कर लगाया जाए। परन्तु इसके बावजूद, श्री भूतलिंगम का मत था कि केवल उपहार-कर ही मृत्यु-करों के वंचन को रोकने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं होगा।

उपहार कर के परिहार को रोकना (To Check Avoidance of Gift Tax)—उपहार कर-वंचना के रोकने के सम्बन्ध में न्यायाधीश श्री वाँचू ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं—

- (i) उपहार-कर अधिनियम 1958 में पूर्ण संशोधन किया जाए।
- (ii) किसी व्यक्ति को मिलने वाला उपहार प्रत्येक वर्ष में जोड़ा जाना चाहिए।
- (iii) एक वर्ष में एक हजार रुपये के उपहार को कर-मुक्त रखा जाए।
- (iv) उपहार कर के योग सिद्धान्त का विस्तार किया जाए ताकि उसे सम्पदा कर में जोड़ा जा सके।

• धन कर (Wealth Tax)

धन-कर उस कर को कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, पूँजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। भारत में धन-कर ब्रिटिश अर्थशास्त्री, प्रो० केलडोर की सिफारिशों के आधार पर धन-कर अधिनियम 1957 द्वारा लगाया गया था। यह कर व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा कम्पनियों के निवल धन (net wealth) पर एक वार्षिक कर के रूप में लगाया गया। इस कर को समता व न्याय, आर्थिक प्रभाव तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता के आधार पर न्यायोचित ठहराया गया था। प्रो० केलडोर का यह भी कहना था कि व्यक्ति की केवल आय को उसकी कर-देय क्षमता के माप का यथेष्ट पैमाना नहीं माना जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आय के साथ सम्पत्ति को भी मिलाया जाए।

धन-कर का प्रो० केलडोर ने समर्थन मुख्यतः तीन आधारों पर किया है—

- (1) समानता का आधार।
- (2) आर्थिक प्रभाव।
- (3) प्रशासनिक दृष्टिकोण।

समानता का आधार—प्रो० केलडोर का कहना है कि अकेली आय ही, कर का पूर्ण ज्ञान नहीं दिलाती अर्थात् केवल आय को ही कर अदायगी की क्षमता (Taxable Capacity) का मापक स्वीकार किया जा सकता है तथा धन-कर, कर अदायगी की क्षमता में समानता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।

किन्तु प्रो० केलडोर के इस मत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि धन-कर उन लोगों पर भार डालता है जिनके पास सम्पत्ति तो है किन्तु उससे आय प्राप्त नहीं होती है। इस दशा में उन्हें कर अदा करने के लिए उस सम्पत्ति को ही बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। इस समस्या का समाधान छूट की सीमा आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है।

आर्थिक प्रभाव—इस दृष्टि से धन-कर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यह आयकर की भाँति सम्पत्ति को जोखिम वाले व्यवसायों में लगाने की प्रेरणा पर बुरा प्रभाव नहीं डालता। इसका अर्थ यह है कि आयकर तो सम्पत्ति को जोखिम वाले व्यवसायों में लगाने की प्रेरणा पर बुरा प्रभाव डालता है किन्तु धन कर ऐसा नहीं करता है। इस सम्बन्ध में

के अनुसार के सिद्ध किया है कि आय की ऐसी सीमा पर आयकर की बहुत ऐसी सीमान्त दर उद्योगों तथा घरों को प्रभावित करेगी, अतः आयकर की दर को घटाकर धन कर को लागू किया जाना उचित है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण—इसका अर्थ यह है कि जब आयकर और धन-कर दोनों लागू होते हैं तब आय तथा सम्पत्ति को छिपाना कठिन हो जाता है। आय और सम्पत्ति का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है इसलिए यदि एक ही जीविकी के द्वारा आय और सम्पत्ति दोनों पर कर निर्धारित किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कर-व्यवस्था को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक सुकराती है क्योंकि जब इस बात की जांच की जाती है कि एक व्यक्ति के पास कितनी सम्पत्ति है तो उसकी छिपायी हुई आय का पता लग जाता है और जब आय की जांच की जाती है तो इसके द्वारा छिपाई गई सम्पत्ति का पता लग जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आयकर और धन कर, दोनों मिलकर कर-व्यवस्था को सम्भावनाओं को कम करते हैं।

आलोचनाएँ (Criticisms)—धन कर की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है—

- (1) कुछ सम्पत्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो आय उत्पन्न नहीं करती हैं। इस प्रकार की सम्पत्तियों पर धन-कर अनवश्यक भार डालते हैं।
- (2) धन-कर के भार को भी सम्पत्ति बेचकर हस्तान्तरित किया जा सकता है।
- (3) सम्पत्ति के उपयुक्त मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती है क्योंकि सम्पत्ति का बाजार-मूल्य समय-समय पर बदलता रहता है तथा प्रारम्भिक मूल्य हास होता रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के मूल्यों में अनिश्चितता रहती है।
- (4) अन्याय सम्पत्ति जैसे घरेलू वस्तुएँ, कृषि, बाँध, नहर वगैराह, जवाहरात व सोने-चाँदी के रूप में रखी हुई सम्पत्ति का टोक-टोक पता लगाना कठिन होता है।
- (5) सम्पत्ति की वृद्धि के साथ-साथ इस कर की वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप वह बचत करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि धन-कर, एक उपयोगी कर चढ़ाते हैं। मगर इसके प्रभाव इतने प्रेरणादायक नहीं होते हैं जितने कि आयकर के होते हैं। आयकर के साथ-साथ धन कर को लगाने से कर-व्यवस्था को सम्भावनाओं को कम करते हैं किन्तु धन-कर को कुछ छूट की सीमा के साथ लगाना जाना आवश्यक है।